

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(5)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक 11-7-23

::आज्ञा::

विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित अधिकारियों को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	जगजीत वशिष्ठ कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय नगर निगम जयपुर ग्रेटर	राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य की परीक्षा
2.	गायत्री गुंजल कनिष्ठ विधि अधिकारी	अतिरिक्त निदेशक, सामान्य बीमा निधि, जयपुर	राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य की परीक्षा
3.	अभिनव बेरवाल कनिष्ठ विधि अधिकारी	बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर	Assistant Professor at Maharaja Ganga Singh University, Bikaner
4.	सुमन कुमारी कनिष्ठ विधि अधिकारी	नगर निगम जयपुर ग्रेटर	राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य की परीक्षा

शर्त:-

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त अधिकारी वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कार्यरत हैं तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

आज्ञा से,


(अंशुताप कुमारी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव